International Journal of Applied and Universal Research **E-ISSN No: 2395-0269**
Volume X, Issue II, March – April 2023 **Available online at: www.ijaur.com**
Impact Factor- 5.937

भारतीय समाज में सामाजिक न्याय एवं हिन्दू वैचारिकी का समाजशास्त्रीय अध्ययन

श्रीमती कीर्ति राठौर
ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह (म.प्र.)

सारांशः— आजादी के 75 वर्ष बीत जाने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है । सम्पूर्ण विश्व के कोने—कोने में अनुसंधान एवं टेक्नॉलॉजी मानव को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए प्रतिदिन नए आविष्कार कर रही है। परंतु भारतीय समाज आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दू धर्म की उन रूढीवादी जड़ मान्यताओं से अपने आप को बांधे हुए है, हालाकि समाज में होने वाले आधुनिक परिवर्तन, औद्योगीकरण, शिक्षा एवं सवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण जाति एवं छूआछूत के व्यवहार में अवश्य ही परिवर्तन आया है। परंतु आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचलन बना हुआ है। अतः प्रस्तुत शोध आलेख ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के पांच गांवों में निवास करने वाले 30 विद्यार्थीयों पर केन्द्रित है जिनके साथ सामाजिक न्याय एवं हिंदू वैचारिकी विषय पर की गई अंतःक्रिया के आधार पर उनके गांवों में छुआछूत के व्यवहार किये जाने के पीछे गैर अछूत हिन्दूओं की वैचारिकी को जानने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः—सामाजिक न्याय, वर्गीय असमानता, सामाजिक एकता मे बाधा, सामाजिक संगठन मे बाधा।

प्रस्तावनाः—

भारत एक विशाल आबादी वाला विविधता युक्त जटिल देश है। जहां हिन्दू धर्म को मानने वाले 79.8 प्रतिशत लोग निवास करते है जीवन विधि के आधार पर प्रायः सभी हिन्दू एक समान प्रतीत होते है। जाति हिन्दूओं के सामाजिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा है। जिसके अभाव में हिन्दू समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जाति व्यवस्था के कारण ही सभी हिन्दूओं में आपसी एकता एवं संगठन का अभाव भी रहा है। ऐतिहासिक कारणों से हिन्दूओं की विभिन्न जातियों के मध्य अनेकों विरोधी विचार जुड़े है। एक जाति के हित दूसरी जाति के हित से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते है। हिन्दू समाज की असमानता एवं भेदभाव आधारित शास्त्र जनित वैचारिकी ने शोषक एवं शोषित के मध्य एक खाई धार्मिक आधार पर निर्मित की थी जिसका विरोध कुछ शिक्षित हिन्दू बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया और छुआछूत, जातिवाद, धार्मिक अंधविश्वास एवं रूढिबाद का उनके द्वारा खुलकर विरोध किया गया तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं कानूनों के माध्यम से हिन्दूओं में व्याप्त कुरितियों को समाप्त कर वंचित वर्गो को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया गया।

सामाजिक न्यायः—

सामाजिक न्याय से आशय यह है कि व्यक्ति व्यक्ति के मध्य सामाजिक स्थिति, रंग, जाति, धर्म, भाषा या लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद न किया जाए और राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर मिले। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होनी चाहिए।[1]

भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में खोजी जा सकती है, लेकिन इसका विवेकीकृत स्वरूप आधुनिक भारतीय चिंतन में खोजा जा सकता है। आधुनिक भारत में पुनर्जारण एवं सुधारवादी आंदोलनों में सामाजिक न्याय की अवधारण को महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेताओं ने भी राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक सुधारों की कल्पना की है। उदारवादी चिंतको ने मुख्यतः राजनैतिक स्वतंत्रता के समान ही भारतीय समाज के सुधारों को महत्व दिया है। उनके विचारों में सामाजिक न्याय की धारणा अलग—अलग संदभों में प्रमुखता से दिखाई देती है। इसके प्रमुख प्रणेता डॉ. भीमराव अम्बेडकर कहे जा सकते है।[2]

वर्गीय असमानताः—

डॉ. अंबेडकर के अनुसार वर्गीय असमानता हिन्दू समाज दर्शन का स्थापित सिद्धांत है, विषमता वैसे सभी समाजों में होती है किंतु सामान्य तथा अन्यत्र यह व्यवहार के रूप में होती है। जबकि चतुवर्ण के रूप में विषमता ने अपने देश में एक

कट्टर सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लिया है। छुआछूत जैसी विषम और हानिकारक असमानता का स्वरूप इतिहास में शायद ही कही देखने को मिले। असमानता दूसरी जगह है किंतु हिन्दू समाज व्यवस्था असमानता को मर्यादित करती है। हिन्दू समाज में आदमी के स्पर्श से आदमी गंदा होता है, पानी गंदा होता, यहां तक की भगवान भी गंदा हो जाता है। अछूत पशुओं से भी गए बीते है यह मनुष्य की सृजनशील शक्तियों को कुंठित ही नहीं करती बल्कि मृतप्राय बना देती है। चतुवर्ण व्यवस्था ने निम्न वर्गीय हिन्दू को किसी भी प्रभावशाली कार्यवाही के प्रति बिल्कुल अयोग्य बना दिया [3] और जिसका खामियाजा भारतीय समाज को विदेशी गुलामी से चुकाना पड़ा।

सामाजिक एकता में बाधाः–

आचार विचार और विश्वास में हालांकि सभी हिन्दू एक ही है किंतु वास्तविक अर्थ में वह सब एक समाज या राष्ट्र नहीं बल्कि जातियों का एक संग्रह है। जाति व्यवस्था सामाजिक संकीर्णता और मानसिक बीमारी की सूचक है इसने भारतीय समाज से जनभावना का अंत कर दिया है जन आत्मा का गला घोट दिया है और व्यक्ति के गुणों एवं उसकी निष्ठा को जाति में सीमित एवं कुंठित कर दिया है। [4]

समाजिक संगठन में बाधाः–

जाति व्यवस्था ने हिन्दू समाज में असंठन को जन्म दिया जातियों के कारण हिन्दू समाज में सामूदायिक जीवन पद्धति का लोप हो गया अलग–अलग जातियों की जीवन पद्धति में भिन्नता ने हिन्दू समाज में आपसी भाईचारे सहयोग और संगठन को कमजोर कर दिया जिसके कारण हिन्दूओं में असुरक्षत, कायरता, अलगांव, एकाकीपन का विकास हुआ।

एक हिन्दू दूसरे को अपने से छोटा या बड़ा समझता है, अपने बराबर या भाई नहीं समझता। जब तक हिंदू में जाति व्यवस्था बनी हुई है हिंदू संगठित नहीं हो सकते वह कमजोर और निरीह बने रहेंगे, उन्हें दूसरो से अपमान और अत्याचार को विवश होकर सहना पड़ेगा। जाति प्रथा ने ना केवल हिन्दूओं को असाहय व कायर बनाया वरन उदासीन भी बना दिया। उदासीनता उन्हें किसी नवाचार या सकारात्मक कार्य के लिए संगठित नहीं होने देती। उदासीनता व्यक्ति में निष्क्रियता एवं जडता को जन्म देती है व्यक्तियों की उदासीनता किसी समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। [5]

पूर्व अध्ययन की समीक्षाः–

चौधरी जे. के. (2015)[6] ने अपने पी–एच.डी. शोध प्रबंध दलितों पर अत्याचारः प्रकृति एवं वैधानिक प्रावधान का समाजशास्त्रीय विशलेषण जबलपुर जिले के विशेष संदर्भ में किये गए अध्ययन के आधार पर स्पष्ट किया है की ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगो के साथ छुआछूत एवं जाति भेदभाव किया जाता है। अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों के कारणो में उन्होने स्पष्ट किया है कि हिन्दू समाज में दलित सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक रूप से निम्न स्थिति में रहे है। उनकी गरीबी व समाज में निम्न स्थिति के कारण ही उन पर अत्याचार किये जाते है। दलितो में उच्च जातियों का विरोध या प्रतिकार करने की शक्ति नहीं होती। जिसका फायदा उच्च जाति के व्यक्ति के द्वारा उठाया जाता है जो बिना किसी भय एवं संकोच के दलितो का शोषण एवं अत्याचार करते है।

अध्ययन के उद्देश्यः–

हिन्दूओं के सामाजिक जीवन में जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत के व्यवहार के कारणों को जानना ।

अध्ययन विधि एवं अध्ययन क्षेत्रः–

प्रस्तुत शोध आलेख ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के अंतर्गत चमार जाति के 30 विद्यार्थी पर केन्द्रित है। जो 5 गांव जिनमें करौदा, पड़रिया, सिंगौरगढ़, पठारघाट, एवं परासई गांव में निवास करने वाले जिनके गांव में छुआछूत एवं जातिगत व्यवहार वर्तमान समय में किया जाता है अध्ययन हेतु वर्णनात्मक शोध प्रविधि का उपयोग किया गया है तथा सूचनादाओं का चुनाव उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया है। सूचनादाताओं से सामाजिक न्याय एवं हिन्दू वैचारिकी जातिवाद एवं छुआछूत विषय पर विस्तृत अंतःक्रिया कर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया गया है।

सारणी क्रमांक 1

छुआछूत के व्यवहार की स्थिति

क्र	छुआछूत का व्यवहार	करौदी	पड़रिया	सिंगौरगढ	पठारघाट	परासई	संख्या	प्रतिशत
1	कभी–कभी	2	1	–	–	–	3	10.00
2	सामान्य रूप से	2	3	2	2	–	9	30.00
3	कठोरता से	2	2	4	4	6	18	60.00
	कुल योग	6	6	6	6	6	30	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक एक में पांच गांवों मे छुआछूत के व्यवहार की स्थिति को दर्शाया गया है। जिसमें 60 प्रतिशत सूचनादाताओं ने कठोरता से छुआछूत का पालन करने, 30 प्रतिशत में छुआछूत के सामान्य रूप से प्रचलन में तथा 10 प्रतिशत ने कभी–कभी छुआछूत के व्यवहार किये जाने की स्थिति को दर्शाया है।

सारणी क्रमांक 2

चाय की दुकान में छुआछूत की स्थिति

क्र	छुआछूत का व्यवहार	करौदी	पड़रिया	सिंगौरगढ	पठारघाट	परासई	संख्या	प्रतिशत
1	चाय नहीं दी जाती	–	–	1	1	2	4	13.33
2	अलग बर्तन में	5	2	3	2	2	14	46.67
3	बैठने की मनाही	–	2	–	1	2	5	16.66
4	कभी–कभी कठोरता	1	2	2	2	–	7	23.34
	कुल योग	6	6	6	6	6	30	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक दो में चाय की दुकान में छुआछूत किये जाने की स्थिति के संदर्भ में 13.33 प्रतिशत सूचनादाओं ने चाय की दुकान में चाय न दिये जाने, 46.67 प्रतिशत ने अलग बर्तन या डिस्पोजल में, 16.66 प्रतिशत ने दुकान में न बैठने व दूर खड़े रहने तथा 23.34 प्रतिशत में कभी–कभी कठोरता का व्यवहार करने की स्थिति को बताया है!

सारणी क्रमांक 3

विवाह, चौक आदि सामारोह में अपमानित करने की स्थिति

क्र	छुआछूत का व्यवहार	करौदी	पड़रिया	सिंगौरगढ	पठारघाट	परासई	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	2	4	3	6	6	21	70.00
2	नहीं	4	2	3	–	–	9	30.00
	कुल योग	6	6	6	6	6	30	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक तीन में शादी–विवाह, चौक तथा अछूत जातियों के किसी भी समारोह में उन्हें अपमानित किये जाने की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। 70 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया की उनकी जाति के लोगो के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जबकि 30 प्रतिशत ने इस तरह के प्रायः न होने की स्थिति को बताया है।

सारणी क्रमांक 4

जाति सूचक गाली देना व अपमानित करना

क्र	छुआछूत का व्यवहार	करौदी	पड़रिया	सिंगौरगढ	पठारघाट	परासई	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	3	4	6	6	6	25	83.34
2	नहीं	3	2	–	–	–	5	16.66
	कुल योग	6	6	6	6	6	30	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक चार में जाति सूचक गाली देना व अपमानित किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है जिसमें 83.34 प्रतिशत सूचनादाताओं ने उच्च जाति के हिन्दूओं द्वारा इस तरह के व्यवहार किये जाने तथा 16.66 प्रतिशत ने ऐसा व्यवहार न किये जाने की स्थिति को प्रकट किया है।

सारणी क्रमांक 5

उच्च जातिगत अभिमान, श्रेष्ठता की भावना दिखाना

क्र	छुआछूत का व्यवहार	करौदी	पड़रिया	सिंगौरगढ	पठारघाट	परासई	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	5	5	6	6	6	28	93.34
2	न्हीं	1	1	—	—	—	2	6.66
	कुल योग	6	6	6	6	6	30	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक पांच में उच्च जातियों के द्वारा अपने आप को अछूत जातियों से श्रेष्ठ दिखाने एवं अभिमान किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है। जिसमें 93.34 प्रतिशत सूचनादाता ने बताया कि उनके निवास स्थान के समीप ऐसा व्यवहार किया जाता है जबकि 6.66 प्रतिशत ने इस तरह के व्यवहार न किये जाने की स्थिति को बताया है।

तथ्यों का विश्लेषणः–

शोध से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि छुआछूत एवं जाति भेद से संबंधित व्यवहार का प्रचलन आज भी सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। अछूत जाति के सदस्यों के साथ सार्वजनिक स्थलों, चाय दुकानों आदि में उच्च जातियों द्वारा छुआछूत का आचरण प्रचलन में है। जाति व्यवस्था में सबसे नीचे स्तर की जातियों को ऊपर की सभी उच्च जातियों के लोगों के द्वारा निम्न एवं हीन समझा जाता है जिसके पीछे हिन्दू धर्म की वैचारिकी जिम्मेदार है।

निष्कर्ष एवं सुझावः–

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद एवं छुआछूत का व्यवहार गैर अछूत हिन्दू जातियों द्वारा अछूत जातियों के साथ किया जाता है। जिसके पीछे हिन्दू धर्म की परम्परागत प्राचीन व्यवस्था धर्म एवं धर्माशास्त्र में दिये गए उपदेश है। समाज में यह व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बना हुआ है। चूंकि अछूत जाति के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक रूप से सबसे निचले धरातल पर है यही कारण है कि कमजोर के ऊपर शासन करना शोषण एवं अत्याचार करना सरल प्रतीत होता है जिसके कारण अछूत जातियों का निरंतर शोषण किया जाता रहा है। अतः अछूत जातियों को स्वयं ही अपने व्यवसाय एवं कार्यो में बदलाव लाकर शिक्षा एवं टेक्नॉलॉजी के साथ जुड़कर इस परम्परागत व्यवस्था में बदलाव लाने का सकारात्मक प्रयास करना चाहिए और अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

संदर्भ–सूचीः–

1. पूरणमल (2010), दलित संघर्ष एवं सामाजिक न्याय, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर (राजस्थान) पृ. स. 44
2. वर्मा, बबीता (2012), गांधी, अम्बेडकर, दलित एवं सामाजिक न्याय, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर (राजस्थान) पृ. स. 10
3. अंबेडकर बी. आर. (2015) सामाजिक–आर्थिक विचार दर्शन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रथ अकादमी, भोपाल पृ. स. 70
4. वही पृ. स. 78
5. वही पृ. स. 79
6. चौधरी, जे.के. (2015) दलितो पर अत्याचारः प्रकृति एवं वैधानिक प्रावधान का समाजशास्त्री विश्लेषण, (मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के विशेष संदर्भ में) अप्रकाशित शोध प्रबंध, रा.दु.वि.वि., जबलपुर (मध्यप्रदेश) ।